(98)

307

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

कमांक: प.3 (671)नविवि/।।।/08

जयपुर दिनांक: 5-9-2008

-: आदेश :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 1.7.08 को सम्पन्न हुई बोर्ड ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट एण्ड इनवेस्टमेंट प्रमोशन (बीडी) की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में जयपुर विकास प्राधिकरण रीजन क्षैत्र में भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.08.08 के द्वारा राज्यस्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को समाप्त किया गया है। चूंकि नगर निगम के अधिकारी या महापौर जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति (ई०सी०) के सदस्य नही है। अतः जयपुर नगर निगम के भू–उपयोग परिवर्तन से संबंधित प्रकरणों को सीधे राज्यमंत्री महोदय, को प्रस्तुत नही कर नगर विकास न्यासों के लिए गठित राज्यस्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति में प्रस्तुत किये जावें। तदोपरांत बैठक का कार्यवाही विवरण माननीय मंत्री महोदय के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से

(डी.बी. गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, बी.आई.पी. उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयपुर नगर निगम, जयपुर।
7. निदेशक, स्वयात्त शासन विभाग, जयपुर।
8. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव